प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 05.05.2024

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास करने वाले 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त एक पिस्टल. 32 बोर , 02 जिन्दा कारतूस व 02 चाकू बरामद।

दिनांक 29.04.2024 को वादिया श्रीमती सुनीता पत्नी राकेश शर्मा नि० गली न० 2 अमर कॉलोनी पूर्वी गोकुलपुर दिल्ली ने तहरीर के माध्यम से सूचना दी थी कि अभियुक्त निखिल पुत्र मनोज नि० 30 फुटा रोड पंचवटी कॉलोनी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद तथा उसके अन्य साथी ने वादिया के पुत्र गौरव शर्मा पर जान से मारने की नियत से पिस्टल से फायर किया | घटना के सम्बन्ध में थाना हाजा पर तत्काल सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया | मुखबिर सूचना, सर्विलांस तथा सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उक्त घटना में अभियुक्त पूरन पुत्र तेजपाल नि० गढ़ी गदाना थाना मोदीनगर गाजियाबाद हाल पता F -41 गली न० 3 राजपुरी कॉलोनी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद तथा अभियुक्त दीपक यादव उर्फ़ भवानी पुत्र ओमप्रकाश यादव नि० गौना सुभानपुर थाना कोतवाली बागपत हाल पता म०न० 194 गली न० 3 राजनगर कॉलोनी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद के नाम प्रकाश में आये | वांछित अभियुक्तों की गिरफ़्तारी के क्रम में आज दिनांक 05.05.24 को अभियुक्त निखिल पुत्र मनोज नि० 30 फुटा रोड पंचवटी कॉलोनी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष, पूरन पुत्र तेजपाल नि० गढ़ी गदाना थाना मोदीनगर गाजियाबाद हाल पता F -41 गली न० 3 राजपुरी कॉलोनी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष तथा अभियुक्त दीपक यादव उर्फ़ भवानी पुत्र ओमप्रकाश यादव नि० गौना सुभानपुर थाना कोतवाली बागपत हाल पता म०न० 194 गली न० 3 राजनगर कॉलोनी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष को अंडरपास सेवाधाम से गिरफ्तार किया गया है | जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 पिस्टल 0.32 बोर देशी , 02 जिन्दा कारतूस तथा 02 चाकू नाजायज बरामद हुए | अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ का विवरण – पूछताछ करने पर अभियुक्त निखिल व पूरन व दीपक उर्फ़ भवानी ने बताया कि दिनांक 29.4.24 की रात्रि में लोनी बस डीपो की कैंटीन पर निखिल व पूरन खाना खा रहे थे | तभी गौरव शर्मा भी अपनी महिला मित्र के साथ कैंटीन पर खाना खाने आया | निखिल और पूरन मजाकिया लहजे में एक दूसरे को गाली दे रहे थे | तभी गौरव शर्मा ने अचानक से पूरन को थप्पड़ मारा जिसके तुरंत बाद निखिल वहां से दौड़कर गया और दीपक उर्फ़ भवानी को

बुलाकर लाया जिसके बाद दीपक उर्फ़ भवानी अपनी पिस्टल लेकर आया और कैंटीन के बाहर गौरव पर पिस्टल से कई राउंड फायर किये | फायरिंग से गौरव शर्मा घायल हो गया | जिसके बाद हम पुलिस के डर के कारण मौके से भाग गए | दीपक उर्फ़ भवानी से उसके पास पिस्टल के बारे में पूछा तो बताया कि यह पिस्टल मैंने कई वर्ष पहले दिल्ली के नंदनगरी से राह चलते एक व्यक्ति से 10000 रूपये में खरीदी थी | जिसको मैं शौकिया तौर पर अपने पास रखता हू | पूरन और निखिल से बरामद चाकूओ के बारे में पूछा तो बताया कि हम दोनों ने ये चाकू दिल्ली मुस्तफाबाद से एक व्यक्ति से 2000 रुपयों में खरीदे थे | जिनको हम लोग शौकिया तौर पर अपने पास रखते है |

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –</u>

1.निखिल पुत्र मनोज नि० 30 फुटा रोड पंचवटी कॉलोनी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष

2. पूरन पुत्र तेजपाल नि० गढ़ी गदाना थाना मोदीनगर गाजियाबाद हाल पता F -41 गली न० 3 राजपुरी कॉलोनी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष

3. दीपक यादव उर्फ़ भवानी पुत्र ओमप्रकाश यादव नि० गौना सुभानपुर थाना कोतवाली बागपत हाल पता म०न० 194 गली न० 3 राजनगर कॉलोनी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष

<u>बरामदगी का विवरण –</u>

घटना में प्रयुक्त 01 पिस्टल 0.32 बोर देशी , 02 जिन्दा कारतूस (अभियुक्त दीपक उर्फ़ भवानी के कब्जे से)

01 चाक़ू फैंसी एक तरफ से धारदार एक तरफ से दांते नुमा (अभियुक्त निखिल के कब्जे से)

01 चाक़ू फैंसी एक तरफ से धारदार एक तरफ से दांते नुमा (अभियुक्त पूरन के कब्जे से)

<u>अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास का विवरणः-</u>

अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना लोनी बोर्डर उपरोक्त हत्या का प्रयास का उपरोक्त अभियोग तथा इससे पूर्व अभियुक्त दीपक उर्फ़ भवानी पर एक अन्य मारपीट का अभियोग पंजीकृत है।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम</u>

स्वाट टीम ग्रामीण जोन तथा थाना लोनी बोर्डर पुलिस टीम

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा फिरौती के उद्देश्य से अपहरण कर हत्या करने वाले 03 अभियुक्तो को किया गिरफ्तार। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गयी फायरिंग में एक बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस , 01 खोखा कारतूस मय घटना में प्रयुक्त कार व बेहोशी की दवा बरामद।

दिनांक 02-05-24 को वादी देवेन्द्र कुमार शर्मा निवासी ग्राम सिकरोड थाना नन्दग्राम गाजियाबाद ने सूचना दी कि मेरा बेटा योगेन्द्र शर्मा उम्र 25 वर्ष दिनांक 1-5-24 को शाम 19.00 बजे से कहीं गायब है, और उसका मो0नं0 भी लगातार बंद आ रहा है। उक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम पर वादी की तहरीर पर गुमशुदगी पंजीकृत की गयी थी।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमो का गठन किया गया, दिनांक 04-05-24 को घटना में शामिल 04 अभियुक्तो में से, सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर एक संदिग्ध अभि0 मनीष उपरोक्त से पूछताछ की गयी , पूछताछ के आधार पर अभि0 मनीष व उसके 03 अन्य सह अभियुक्तो द्वारा गुमशुदा योगेन्द्र का अपहरण कर फिरौती मांगने के इरादे से अपहरण करने के दौरान हत्या कारित कर शव को छिपा दिया था। घटना में शामिल 04 अभियुक्तो में से 03 अभियुक्तो को हनुमान चौक से अग्रवाल हाईट जाने वाले कच्चे- पक्के रास्ते से गिरफ्तार कर थाने लाया गया, पूछताछ के दौरान अभि0 विकास ने बताया कि घटना में प्रयुक्त गाडी हमने छिपा कर मोरटी गाँव के पीछे नवनिर्मित बाइपास रोड की सर्विस रोड पर झाडियों में खडी की है, जिसमें वह इन्जेकशन (बेहोश करने वाली दवाई) भी पडी है, जिसको मैं चलकर बरामद करा सकता हूँ, अभि0 विकास को साथ लेकर जब पुलिस बल अभि0 के बताये स्थान पर पहुचे तो अभि0 विकास ने आगे बढकर गाडी दिखायी तथा गाडी की चाबी पहिये के पास रखी ईंट के नीचे से निकालकर, गाडी खोली और झटके से गाडी में लपकर घुसा और गाडी में अगली ड्राईविंग सीट के नीचे से तेजी के साथ तमंचा निकालकर पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ व जवाबी कार्यवाही में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसको घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया गया।

अभि0गण का नाम व पता-

(1) विकास पुत्र रामभूल निवासी ग्राम अजराडा थाना मुन्डाली मेरठ।
(2) मनीष पुत्र सुभाष निवासी ग्राम गढी थाना नन्दग्राम गाजियाबाद, मुल पता- समसपुर सुरानी थाना सरधना मेरठ।
(3) रोहित पुत्र सुभाष निवासी ग्राम समसपुर सुरानी थाना सरधना मेरठ।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त मनीष उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मैं ग्राम गढी थाना नन्दग्राम क्षेत्र में, अपने भाई रोहित के साथ रहता हूँ, रोहित राजनगर एक्स0 में गार्ड की नौकरी करता है, और मेरे जीजा विकास उपरोक्त , योगेन्द्र शर्मा पुत्र देवेन्द्र कुमार शर्मा की भट्टा नं 5 रोड पर स्थित बाजार में स्थित दुकान में पिछले 04 माह से किराये पर लेकर मो0सा0 सर्विस/ वाशिंग सेन्टर / गैराज चलाते है, मेरे जीजा ने मुझे मेरे भाई रोहित व अपने छोटे भाई अमन को बताया कि योगेन्द्र शर्मा का मुझ पर दुकान का 02 माह का करीब 40,000/- रुपये किराया बकाया है। योगेन्द्र शर्मा अपने बाप का इकलौता बेटा है, जिसके पास अच्छी खासी पैतृक सम्पत्ति है। ईंट भट्टे का मालिक है, जिसका काफी किराया भी आता है, तो हम चारो लोगो ने साथ मिलकर योजना बनायी की अगर योगेन्द्र शर्मा का अपहरण कर लिया जाये तो कम से कम 50 लाख रुपये की फिरौती आसानी से हमे मिल जायेगी। योजना के अनुसार मेरे जीजा विकास ने मेरे भाई रोहित जिसने पहले किसी अस्पताल में गार्ड काम किया था से बेहोश करने के लिए एनसथीसिया का इन्तजाम करने को बोल दिया और मुझसे कहा कि जब हम लोग योगेन्द्र का अपहरण कर लेगे तो तुम गाडी चलाना, और बार बार जगह बदलते रहना तथा योजना के अनुसार दि0 01/05/2024 को दिन में मेरे जीजा विकास ने फोन करके योगेन्द्र शर्मा को कहा कि आज शाम 07.00 बजे आप अपना किराया लेने आ जाना। मैं और मेरे जीजा विकास पहले से ही दुकान पर मौजूद थे, शाम के 07.00 बजे के आस पास योगेन्द्र किराया लेने सर्विस सेन्टर पर आ गया। जिसके 05-10 मिनट के अन्तराल मे ही अमन और रोहित सर्विस सेन्टर पर आ गये, जिसके बाद हम लोगो ने दुकान का शटर बन्द कर दिया और पहले से ही

प्लान किये अनुसार रोहित ने पीछे से मुंह पर कपडा लपेट दिया, जिसे एक हाथ से पकडते हुए दूसरे हाथ की कोहनी को योगेन्द्र के गले मे आगे से डाल कर गला पकड लिया और उसी समय विकास ने पैर दबोच लिये व अमन ने दोनो हाथ पकड लिये तथा मैने मुंह को एक हाथ से दबा लिया तथा दूसरे हाथ से एनसथीसिया का इन्जेक्शन लगा दिया, जिसके दो मिनट बाद ही वह बेहोश हो गया, जिसके बाद हम चारो ने मिलकर योगेन्द्र को गाडी मे पिछली सीट पर डाल दिया और रोहित गाडी को लेकर सर्विस सेन्टर से लेकर मेरठ रोड की ओर निकल गया पीछे से मैं मोटर साईकिल लेकर पीछे पीछे आय़ा और मोरटा पर जाकर बाइक मुझसे जीजा विकास ने ली ली और मनीष व अमन, योगेन्द्र को गाडी मे डालकर मेरठ ले गये और गाडी मे डालकर सारी रात घूमते रहे सुबह तक योगेन्द्र होशमे नही आय़ा तो मनीष व रोहित, योगेन्द्र को शिवाय गांव के जंगल मे रेलवे लाइन के पास झाडियो मे फेंक आय़े और उसके फोन को दौराला मे बह रहे गंदे नाले मे तोडकर फेंक दिया था जिसके अगले दिन 02/05/2024 की रात मे हम लोग दोबारा शव को फेंकने के स्थान पर पहुंचे और मिट्टी के ढेर मे दबा आये थे और गाडी जीजा विकास ने छिपा कर मोरटी गांव के पीछे नवनिर्मित बाइपास रोड की सर्विस रोड पर झाडियो मे खडी कर दी थी। रोहित द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मैं पहले मोदीपुरम मेरठ में स्थित एक प्राईवेट अस्पताल SDS HOSPITAL में वार्ड बॉय का काम करता था, मुझे बेहोश करने वाले इन्जकेशन की जानकारी थी, जिसका नाम मेडाजोलम है, जिसका इन्जकेशन हमने योगेन्द्र शर्मा को लगा दिया था।

<u>अभियुक्त आपराधिक इतिहास-</u>

अभि0 विकास उपरोक्त के विरुद्ध थाना नन्दनगरी दिल्ली में बलात्कार का एक अभियोग पंजीकृत है।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

1. एक DZIRE कार घटना में प्रयुक्त।
2. एक तमंचा 315 बोर , 02 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस।
3. घटना में प्रयोग किया गया इंजेक्शन (बेहोश करने की दवा)।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम</u>—

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा जुआ खेलते हुए 09 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 ताश की गड्डी 52 पत्ते, घुमने वाली चक्री, 02 पर्ची, 01 बैनर व 6500 /- रुपये बरामद।

<u>कार्यवाही का विवरण:</u> दिनांक 05.05.2024 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि अम्बेडकर पार्क अर्थला के पास रेलवे ट्रैक के किनारे पर कुछ व्यक्ति मोमबती की रोशनी में झुन्ड बनाकर ताश के पत्तो, घूमाने वाली चक्री व पर्ची खोलकर पैसे लगाकर जुआ खेल रहे। तत्काल साहिबाबाद पुलिस टीम मौके पर पहुचकर जुआ खेल रहे 09 अभियुक्तों को 1. नरेश पुत्र पूरन निवासी गली नं0 11 रामनगर अर्थला थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद मूल पता नियर काली का मन्दिर रामगंगा कालोनी थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद, 2. नितिन कुमार पुत्र सोनवीर निवासी गली नं0 11 रामनगर अर्थला थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद मूल पता ग्राम झोरा थाना मंसुपुर ब्लॉक खतौनी जनपद मुजफ्फर नगर 3. मन्नु कुमार पुत्र मुरारीलाल नि0 गली न0 11 रामनगर अर्थला थाना साहिबाबाद कमि0 गा0बाद 4. राजा पुत्र महीपाल नि0 गली न0 11 रामनगर अर्थला थाना साहिबाबाद कमि0 गा0बाद मूलपता अख्तियारपुर थाना यादनगर जिला सम्भल 5. अजय कुमार पुत्र शिवराम नि0 नियर चौ0 बचन सिंह इण्टर कालिज रामनगर अर्थला थाना साहिबाबाद कमि0 गा0बाद मूलपता औरेया जिला इटावा 6. पंकज कुमार पुत्र युगवेन्द्र सिंह नि0 गली न0 11 रामनगर अर्थला थाना साहिबाबाद कमि0 गा0बाद मूलपता ग्राम पिढोली

थाना बनियापुर जिला छपरा बिहार 7. आशु पुत्र हबीबुल्ला नि0 तौहसीन के मकान किराये पर नियर चांद मस्जिद सै0 -12 विजयनगर थाना विजयनगर मूल पता म.न. 10 काश्तवाड़ मौहल्ला सिकन्दराबाद थाना सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर 8. अनिल वर्मा पुत्र अर्जुन वर्मा नि0 ई 78 न्यू अशोक नगर थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली 9. सचिन खटीक पुत्र राजू नि0 सुनील के मकान में किराये पर नियर बी 110 इलेक्ट्रोनिक कम्पनी हरौला थाना फेस प्रथम नोएडा गौतम बुद्ध नगर को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 01 ताश की गड्डी 52 पत्ते, घुमने वाली चक्री, 02 पर्ची, 01 बैनर व 6500 /- रुपये बरामद हुए। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुध्द सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः</u>

1. नरेश पुत्र पूरन नि0 गली न0 11 रामनगर अर्थला थाना साहिबाबाद कमि0 गा0बाद मूलपता नियर काली का मन्दिर रामगंगा कालोनी थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद।
2. नितिन कुमार पुत्र सोनवीर नि0 गली न0 11 रामनगर अर्थला थाना साहिबाबाद कमि0 गा0बाद मूल पता ग्राम झोरा थाना मंसुपुर ब्लाक खतौनी जनपद मुजफ्फरनगर।
3. मन्नु कुमार पुत्र मुरारीलाल नि0 गली न0 11 रामनगर अर्थला थाना साहिबाबाद कमि0 गा0बाद।
4. राजा पुत्र महीपाल नि0 गली न0 11 रामनगर अर्थला थाना साहिबाबाद कमि0 गा0बाद मूल पता अख्तियारपुर थाना यादनगर जिला सम्भल।
5. अजय कुमार पुत्र शिवराम नि0 नियर चौ0 बचन सिंह इण्टर कालिज रामनगर अर्थला थाना साहिबाबाद कमि0 गा0बाद मूलपता औरेया जिला इटावा।
6. पंकज कुमार पुत्र युगवेन्द्र सिंह नि0 गली न0 11 रामनगर अर्थला थाना साहिबाबाद कमि0 गा0बाद मूलपता ग्राम पिढोली थाना बनियापुर जिला छपरा बिहार।
7. आशु पुत्र हबीबुल्ला नि0 तौहसीन के मकान किराये पर नियर चांद मस्जिद सै0 12 विजयनगर थाना विजयनगर मूल पता म.न. 10 काश्तवाड़ मौहल्ला थाना सिकन्द्राबादजनपद बुलन्दशहर।
8. अनिल वर्मा पुत्र अर्जुन वर्मा नि0 ई78 न्यू अशोक नगर थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली।
9. सचिन खटीक पुत्र राजू नि0 सुनील के मकान में किराये पर नियर बी110 इलेक्ट्रोनिक कम्पनी हरौला थाना फेस -1 नोएडा गौतम बुद्ध नगर।

<u>बरामदगी का विवरणः</u>

- कब्जे से 01 ताश की गड्डी 52 पत्ते, घुमने वाली चक्री, 02 पर्ची, 01 बैनर व 6500 /- रुपये बरामद।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः</u>

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा ट्रांसफार्मरों से तांबे के तार/पत्ती चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी कर ट्रांसफार्मरों से निकाले गए 02 कुन्तल 18 किलोग्राम तांबे की पत्ती/तार, चोरी करने के उपकरण व चोरी की घटना में प्रयुक्त एक टाटा कैंटर गाड़ी बरामद।

दिनांक 04.05.2024 को थाना लोनी के चौकी क्षेत्र अशोक विहार क्षेत्र मे दिल्ली सहारनपुर रोड पर बिजली घर के ट्राँसफार्मरो से निकाले गये ताँबे के तार व पत्तियो की चोरी की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने पर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चोरी की घटना कारित करने वाले 03 शातिर चोर अभियुक्तों 1. गुल सनव्वर पुत्र नूर हसन निवासी ग्राम भूड थाना खतौली जिला मुजफ्फरनगर हाल एमबी फार्म हाउस के पास निठौरा रोड अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष 2.नौशाद पुत्र इरशाद निवासी हाल पता वी0के0मेजर स्कूल के पास निठोरा रोड अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद मूल पता कस्बा व थाना शाहपुर बसी ईदगाह के पीछे जिला मुजफ्फरनगर उम्र करीब 40 वर्ष 3. चाँद उर्फ फजलू पुत्र मकसूद निवासी नियर हुसैन मस्जिद मुस्तफाबाद थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष को बिजलीघरो के ट्राँसफार्मरो से चोरी कर निकाले गये 02 कुन्तल 18 किलोग्राम ताँबे की पत्ती / तार, चोरी करने के उपकरण कटर , पेंचकश , रिन्च , चाबी , पाना आदि व चोरी की घटना मे प्रयुक्त एक टाटा केन्टर 709 सहित दिनांक 04.05.2024 को चौकी क्षेत्र अशोक विहार लोनी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तों का विवरण

अभियुक्त गण शातिर किस्म के अपराधी है। जो बुलन्दशहर , मुजफ्फरनगर एनसीआर क्षेत्र से आपस मे मिलकर डकैती / चोरी की घटना कारित करते है। जिन्हे आज लोनी पुलिस द्वारा लोनी क्षेत्र मे बिजली के ट्राँसफार्मर से निकाले ताँबे के तार/पत्ती, चोरी करने के उपकरण कटर , पेंचकश , रिन्च , चाबी , पाना आदि व चोरी की घटना मे प्रयुक्त एक टाटा केन्टर 709 सहित गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम/पता गिरफ्तार अभियुक्त

1. गुल सनव्वर पुत्र नूर हसन निवासी ग्राम भूड थाना खतौली जिला मुजफ्फरनगर हाल एमबी फार्म हाउस के पास निठौरा रोड अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष

2.नौशाद पुत्र इरशाद निवासी हाल पता वी0के0मेजर स्कूल के पास निठोरा रोड अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद मूल पता कस्बा व थाना शाहपुर बसी ईदगाह के पीछे जिला मुजफ्फरनगर उम्र करीब 40 वर्ष

3. चाँद उर्फ फजलू पुत्र मकसूद निवासी नियर हुसैन मस्जिद मुस्तफाबाद थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष

बरामदगी का बरादगी का विवरण

1. बिजलीघरो के ट्राँसफार्मरो से निकाले गये 02 कुन्तल 18 किलोग्राम ताँबे की पत्ती/तार
2. चोरी करने के उपकरण कटर , पेंचकश , रिन्च , चाबी , पाना आदि
3. घटना मे प्रयुक्त एक टाटा केन्टर 709

अपराधिक इतिहास –

1. दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध थाना लोनी पर पंजीकृत अभियोग की सं0- 01

2. अभियुक्त नौशाद के विरूद्ध डकैती / गैंगस्टर एक्ट आदि के जनपद बुलन्दशहर , मुजफ्फरनगर मे पंजीकृत अभियोग की सं0- 08

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक स्कूटी बरामद ।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त 1.रजनीश पुत्र सुधीर नि० राजीव गार्डन सिफ़ी गारमेंट्स थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष 2. आमिर पुत्र जाफर नि० बेहटा आनंद मंडप के सामने थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष को आज दिनांक 05.05.2024 को गुरुद्वारा रोड से गिरफ्तार किया गया, कब्जे से चोरी की एक स्कूटी बरामद हुई । उक्त स्कूटी के सम्बन्ध मे क्राइम ब्रांच दिल्ली में चोरी का अभियोग पंजीकृत है । अभियुक्तगणों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1.रजनीश पुत्र सुधीर नि० राजीव गार्डन सिफ़ी गारमेंट्स थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद 32 वर्ष

2.आमिर पुत्र जाफर नि० बेहटा आनंद मंडप के सामने थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष

अपराधिक इतिहास

अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की संख्या-02

बरामदगी का विवरण –

चोरी की एक स्कूटी रजि0 न0 DL5SAD3080

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा (अखिल भारतीय करणी सेना) के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

दिनांक 29-04-24 को वादी श्री शिवा तोमर पुत्र सुरेश सिंह निवासी i-1302 अजनारा सोसयटी राजनगर एक्स0 थाना नन्दग्राम ने तहरीर दी कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर शेखर चौहान जी के फोन पर किसी अंजान व्यक्ति द्वारा उन्हे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उक्त तहरीर पर तत्काल थाना नन्दग्राम द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरणः-

थाना पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर दिनांक 05-05-24 को सर्विलांस के माध्यम से उक्त युवक जिसके द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर शेखर चौहान जी को जान से मारने की धमकी दी थी को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

आरोपी का नाम व पता-

(1) दीपक कुमार पुत्र दिनेश दत्त कुमार निवासी म0नं0 44, साई एन्कलेव थाना नन्दग्राम गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा मोटर साइकिल चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 02 अभियुक्त 1.योगेश पुत्र सूरजपाल नि० म०न० 387 प्रेमनगर गली न० 12 करावल नगर दिल्ली उम्र 28 वर्ष 2. विकास पुत्र हरदयाल सिंह नि० प्रेमनगर निकट हरिओम मोटर्स थाना करावल नगर दिल्ली उम्र 27 वर्ष को आज दिनांक 05.05.2024 को बेहटा पुलिया नहर रोड से गिरफ्तार किया गया, कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल पैशन प्रो रजि0 न0 DL5SAQ0987 चैसिस नं0 MBLHA10BJEHL19894 व इंजन नं0 HA 10ETEHL20238, फर्जी नंबर प्लेट रजि० न० DL5SBT8143 लगी हुई बरामद हुई। उक्त मोटरसाइकिल के सम्बन्ध मे चोरी का अभियोग थाना कविनगर पर पंजीकृत है । अभियुक्तगणों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1.योगेश पुत्र सूरजपाल नि० म०न० 387 प्रेमनगर गली न० 12 करावल नगर दिल्ली उम्र 28 वर्ष

2.विकास पुत्र हरदयाल सिंह नि० प्रेमनगर निकट हरिओम मोटर्स थाना करावल नगर दिल्ली उम्र 27 वर्ष

<u>बरामदगी का विवरण</u>

एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो रजि0 न0 DL5SAQ0987 चैसिस नं0 MBLHA10BJEHL19894 व इंजन नं0 HA 10ETEHL20238, फर्जी नंबर प्लेट रजि० न० DL5SBT8143

<u>अपराधिक इतिहासः-</u>

अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की संख्या-02

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम</u> –

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम